प्रेस नोट दिनांक- 04.10.2020

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 01.10.2020 को दतावली नहर मिले महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया घटना का सफल अनावरण।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 01.10.2020 को दतावली नहर मिले महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया घटना का सफल अनावरण।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2020 को मृतका के पिता श्री हाकिम सिहं पुत्र काशीराम निवासी ग्राम उसमानपुरा थाना भौगांव जनपद मैनपुरी द्वारा थाना वैदपुरा पर सूचना दी कि उनकी पुत्री (मृतका) ज्ञानदेवी की शादी 20 वर्ष पूर्व विजयपाल पुत्र नाथूराम निवासी हजरतपुर थाना वैदपुरा जनपद इटावा के साथ की थी। विजयपाल के पिता द्वारा प्रापर्टी का बहुत सारा हिस्सा अपने बडे पुत्र के नाम कर दिया था जिस कारण मेरी पुत्री द्वारा इसका विरोध किया तो विजयपाल एवं उसके परिवारीजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा दिनांक 30.09.2020 की रात्रि को भी उसके पति एवं परिवारीजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी तथा उसकी हत्या कर उसके शव को कहीं छिपा दिया गया है पीडित की तहरीर के आधार पर थाना वैदपुरा पर मु0अ0स0 110 /2020 धारा 147,302,201 भादवि नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना वैदपुरा से घटना का शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु 02 पुलिस टीम का गठन किया था। इसी क्रम में दिनांक 01.10.2020 को पुलिस टीम को दतावली नहर में एक युवती का शव मिला जिसकी शिनाख्त ज्ञानदेवी पत्नी श्री विजयपाल निवासी हजरतपुर थाना वैदपुरा के रुप में हुयी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 110/2020 से संबंधित अभियुक्त कही जाने की फिराक में है जो कि मदर डेयरी वैदपुरा पर आने वाले है मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम जहॉनाबाद मोड पर सडक किनारे झाडियों में छिपकर अभियुक्तों का इन्तजार करने लगे तभी कुछ देर बाद 01 युवक व 02 युवती जहॉनाबाद मन्दिर के ओर आ रहे थे जिनकी ओर मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि यही वो अभियुक्त है जिनके द्वारा युवती की हत्या की गयी थी। पुलिस टीम द्वारा तीनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर पकड लिया गया।

पुलिस पूछताछ – गिरफ्तार अभियुक्तों में मृतका का जेठ रघुनाथ एवं उसकी पत्नी तथा विधवा बहन को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि प्रापर्टी के बटवारे को लेकर मृतका द्वारा काफी समय से लगातार विरोध किया जा रहा था जिसे दिनांक 29/30.09.2020 की रात्रि को हम सभी परिवारीजनों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गला दबाकर ज्ञानदेवी की हत्या कर दी तथा शव को रात्रि में ही दतावली नहर में बहा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रघुराज सिहं पुत्र नाथूराम निवासी हजरतपुर थाना वैदपुरा
2. श्रीमती सुमित्रा पत्नी रघुराज निवासी हजरतपुर थाना वैदपुरा
3. चन्द्रवती देवी पुत्री नाथूराम निवासी हजरतपुर थाना वैदपुरा

पुलिस टीम –मो0 हामिद सिद्दकी प्रभारी निरीक्षक थाना वैदपुरा

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा